



कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रायपुर (छ.ग.)

प्रथम तल कक्ष क्रमांक 22 कलेक्ट्रेट रायपुर

ईमेल : excise.acraipur@rediffmail.com

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 28/9/2026

पुलिस कमिशनर, रायपुर कमिशनरेट (छ.ग.) के पत्र क्रमांक : पु0आ0/नग/राय/जिविशा/ब/3151/26 दिनांक 26/09/2026 को दृष्टिगत रखते हुये, मै गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गणेश विसर्जन के अवसर पर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के परिरक्षण के लिए रायपुर नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र बीरगांव एवं उरला, सिलतरा तथा डुण्डा के समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1(ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.2(क), 3, 3(क), 3(ख), 3(ग), 3(घ), 3(ङ.), एफ.एल. 4, 4(क) को दिनांक 28/09/2026 के सायं 4:00 बजे से बंद करने का आदेश देता हूँ।

उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जावे।

Digitally signed by
GAURAV KUMAR SINGH
Date: 28-09-2026
11:34:38

गौरव कुमार सिंह
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला रायपुर (छ.ग.)

पृ. File No.:GENS/86867/2026-DEO EXCISE RPR GEN SEC

प्रतिलिपि :-

1. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. पुलिस कमिशनर, रायपुर कमिशनरेट (छ.ग.) को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, रायपुर संभाग, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड गोदाम सिलतरा, रायपुर की ओर पालनार्थ।
7. जनसंपर्क अधिकारी, जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. भण्डारण भाण्डागार अधिकारी रायपुर को पालनार्थ।

9. समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी मंडल जिला रायपुर की ओर पालनार्थ।
10. समस्त सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक वृत्त जिला रायपुर की ओर पालनार्थ।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम मदिरा दुकान जिला रायपुर की ओर पालनार्थ।
12. समस्त एफ.एल. 2(क), 3, 3(क), 3(ख), 3(ग), 3(घ), 3(ङ.), एफ.एल. 4, 4(क) के लायसेंसी जिला रायपुर को पालनार्थ।
13. जिला प्रभारी इनोसोर्स सर्विस प्रा.लि. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. जिला प्रभारी प्लेसमेंट एजेंसी सुरक्षा गार्ड एसआईएस एजेंसी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. जिला प्रभारी हिताची कैश कलेक्शन एजेंसी रायपुर को सूचनार्थ।
16. समस्त मुख्य विक्रयकर्ता, देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम मदिरा दुकान जिला रायपुर की ओर पालनार्थ।